

[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2023-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. (अ)- संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची IV में-

(क) क्रम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्;

(1)	(2)	(3)
227“क	कोई भी अध्याय	“विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे”, - स्पष्टीकरण: “केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017की धारा में (क102) 2यथा परिभाषित- विनिर्दिष्ट“ अनुयोज्य दावे” से- (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा;

		(iv) घुड़दौड़; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।";
--	--	---

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात;

“(v) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 14) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/180/2023-टीओ (टीआरयू-11)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 जिसे सा.का.नि. 549 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।